न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 12/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/53

अनवान

1. ईश्वर आत्मज धुला गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भैरू आत्मज राजु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सीता पुत्री राजु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गजरी पत्नि राजु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पारस आत्मज लाखा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भागु आत्मज हुक्मा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. अमरसिंह चारण — वादी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः—04.03.2025

प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सगरेव पटवार मण्डल सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3592 रकबा 0.43 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 कोई स्वत्व नही होते हुए भी वे आये दिन प्रार्थी को उक्त आराजी की पालियों पर नाजायज दखलदांजी करते रहे है। माह जनवरी 2022 में प्रतिवादोत्या 1 लगायत तीन ने वादी के बातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 3592 के उत्तर परिचम दिशा में 80X35 फीट में भाग पर थोहर के बाड़ लगा कर तथा प्रतिवादी संख्या चार ने उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में 0.02 है हक्टेयर भू माग पर तथा प्रतिवादी संख्या पांच ने उक्त आराजी के कुछ भुभाग पर थोहर की बाड़ लगा कर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया व कहा कि हमारी भुमि की सीमा यहा तक आती है इसलिए हमारे कब्जे मे रखेगें। वादी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान सहायक लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी रायपुर के यहाँ प्रस्तुत किया, उसमे न्यायालय द्वारा विनाकः 22—3—2022 को पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान फरमाया गया है। पत्थरगढी आदेश को पालना मे दिनाक 23.6.2022 को पटवारी हल्का सगरेव व भू अभिलेख निरीक्षक वादी की उक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी की तो वाद

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

के कलम संख्या 3 में वर्णित भू भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का कब्जा पाया गया है जो मुझ वादी की खातेदारी की ही पाई गई। अतः सादर प्रार्थना है कि कब्जेयावी की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि वादी की खातेदारी अधिकारी की आराजी संख्या 3592 वाके ग्राम सगरेव की उत्तर पश्चिम दिशा में 80X35 फीट भू भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में 0.02 है0 भू भाग पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उक्त आराजी के कुछ भु भाग पर प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर कब्जा वादी है सिपूर्द कराया जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया है जिसको पुनः वादीगण को कब्जा दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादी की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 3592 रकबा 0.43 है0, भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादी लेने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव की आराजी संख्या 3592 रकबा 0.43 हेक्टर के उत्तर पश्चिम दिशा में 80X35 फीट भू भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में 0.02 है0 भू भाग पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उक्त आराजी के कुछ भु भाग पर प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– **12/2023**

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2023/53**

अनवान

1. ईश्वर आत्मज धुला गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भैरू आत्मज राजु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सीता पुत्री राजु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गजरी पत्नि राजु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पारस आत्मज लाखा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भागु आत्मज हुक्मा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव की आराजी संख्या 3592 रकबा 0.43 हेक्टर के उत्तर पश्चिम दिशा में 80X35 फीट भू भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में 0.02 है0 भू भाग पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उक्त आराजी के कुछ भु भाग पर प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

डिक्री आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(विश्वजीत सिंह)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर